आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 39/2013** **मंगल राम बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0 25422/2013 मंगल राम बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 6.3.2014 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2292 दिनांक 29.6.13 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल स्तरीय जॉच दल के जॉच पदाधिकारी श्री ललन द्विवेदी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया द्वारा दिनांक 12.4.2013 को जन वितरण विकेता मंगल राम अनुज्ञप्ति संख्या 43/2007 पंचायत रसौली, प्रखंड–पानापुर के व्यापार स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गयी थीः 1. कैशमेमो नहीं दिया जाता था। 2. सूचनापट्ट उपलबध नहीं था। 3. मूल्य प्रदर्शन तालिका संधारित नहीं थी। 4. माप–तौल निबंधन प्रमाण–पत्र जॉच पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया। 5. राशन कार्ड में उठाव किए गए सामग्रियों को प्रविष्टी नहीं की गयी। 6. किरासन तेल भंडार पंजी में विकी प्रदर्शित नहीं है और न ही किरासन तेल वितरण पंजी में वितरण की तिथि अंकित है। 7. दिनांक 11.4.2013 को माह फरवरी के विरूद्व बी.पी.एल. में 11.90 एवं अन्त्योदय में 4.90 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया तथा भंडार सत्यापन में उठाव किया गया	

गेहूँ की मात्रा शून्य पाई गयी।

8. विक्रेता के दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन की आपूर्ति की जाती है तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य की वसूली की जाती है।
9. अन्त्योदय योजना के भंडार पंजियों विकी प्रदर्शित नहीं किया गया है।
10. विक्रेता द्वारा अन्त्योदय योजना के वितरण पंजी एव बी.पी.एल. योजना के भंडार पंजी जॉच पदाधिकारी को जॉच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त अनियमितताओं के आलोक में विक्रेता से कारणपृच्छा की मॉग की गयी थी। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के संबंध में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मंतव्य की मॉग की गयी। उन्होंने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा मनगढंत, सत्य से परे एवं असंतोषजनक है। इस प्रकार ज़न वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मंतव्य के अवलोकन एवं विश्लेषण तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PUCL Vs UOI and Ors. Civil original Jurisdiction writ petition (Civil) No. 196 of 2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। अतएव बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के अंतर्गत विभागीय अधूसचना सं0 जी0एस0आर0-01 दिनांक 20.2.2007 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विक्रेता के द्वारा उक्त वरती गई अनियमितताओं से संतुष्ट होते हुए अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि निरीक्षण के कम में सूचनापट्ट उपलब्ध था तथा मूल्य तामिला भी सही ढॅग से संधारित था। माप–तौल निबंधन प्रमाण पत्र दुकान में ही था, उसे किसी ने मॉगा न देखा। किरासन तेल भंडार पंजी में प्रवृष्टियॉ सही ढॅग से संधारित थी, लेकिन कुछ खाली रहने के कारण विकय एवं जॉच के समय में कमी थी। यह भी बतलाया गया कि दिनांक 11.4.13 को दर्शाऍ गए उठाव वाहन के अभाव में लाया नहीं गया । दिनांक 25.4.13 को सामग्री का उठाव करा लाया गया था। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मूल्य अधिक लिया जाता है तथा समान कम दिया जाता है, जबकि उपभोक्ताओं के बयान की प्रति प्रतिवेदन के अभाव में स्पष्ट नहीं है कि उपभोक्ता अपीलार्थी के दुकान से सम्बद्व है या नहीं। कोई भी अपीलार्थी के दुकान से सम्बद्व

उपभोक्ता किसी पदाधिकारी के पास न तो आया और न ही कोई बयान दिया। यह भी बतलाया कि अन्त्योदय योजना की भंडार पंजी बिल्कुल सही था। निरीक्षण पदाधिकारी ने सभी पंजियों को ठीक पाया एवं कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दिया था, बल्कि एक षड्यंत्र के तहत अपीलार्थी को अनुसूचित जाति का डीलर समझ कर परेशान किया जाता है।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा कारणपृच्छा के कंडिका 01 के प्रसंग में कैशमेमो उपलब्ध नहीं कराने के आरोप के संबंध में कैशमेमो की छायाप्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमेमो दिया जाता है। कारणपृच्छा के कंडिका 06 के प्रसंग में अपीलार्थी के द्वारा समर्पित किरासन तेल, भंडार पंजी एवं वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह फरवरी एवं मार्च की विक्री अंकित नहीं है और न ही वितरण पंजी में दर्ज, मात्रा एवं राशि का ही उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में संलग्न किरासन तेल उठाव एवं वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह जनवरी 2013 एवं माह फरवरी 2013 में किरासन तेल के उठाव की तिथि, वितरण की तिथि एवं भुगतान शुदा कूपन को कार्यालय जमा करने की तिथि विभागीय पत्रांक 1871 दिनांक 13.7.05 के कंडिका 05 में निहित प्रावधान के आलोक में नहीं है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को रदद करने का पर्याप्त आधार बनता है। अपीलार्थी के द्वारा विलम्ब से किरासन तेल का उठाव करना, विलम्ब से वितरण करना एवं विलम्ब से कूपन कार्यालय में जमा करना घोर आपत्तिजनक है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा speaking order पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 857 दिनांक 01/8/2014

प्रतिलिपि- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- DSC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण